रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 2019/माघ 12, 1940
No. 519] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2019/MAGHA 12, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2019

का.आ. 632(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यात्रियों या माल के वहन के लिए परिवहन सेवाएं (रेल से भिन्न), जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 1 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यात्रियों या माल के वहन (भू-मार्ग या जलमार्ग द्वारा) के लिए उक्त सेवाओं को छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करती है ।

[फा. सं. एस-11017/1/2009-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2019

S.O. 632 (E).—Whereas, the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods (by land or water), which is covered by entry 1 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government, hereby declares from the date of publication of this notification the said service in the Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods (by land or water) to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/1/2009-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

730 GI/2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.02 15:55:50 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 835] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/फाल्गुन 3, 1940
No. 835] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/PHALGUNA 3, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

का.आ. 966(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में मद 32 के अधीन आने वाली 'बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक' में सेवा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित की जाए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उद्योग को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2016-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/फाल्गुन 3, 1940
No. 836] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/PHALGUNA 3, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

का.आ. 967(अ).—केन्द्रीय सरकार,यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखितऔद्योगिक उपक्रमों में की सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के विभिन्न मदों के अधीन आती है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित करती है, अर्थात् :-

(क) भारत सरकार की टकसालें, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई और हैदराबाद (मद संख्या 11 के अधीन समावेशित);

(ख) भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक (मद संख्या 12 के अधीन समावेशित);

(ग) पर्तिभूती मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद (मद संख्या 12 के अधीन समावेशित);

(घ) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मद संख्या 21 के अधीन समावेशित);

(ङ) बैंक नोट प्रैस, देवास (मद संख्या 22 के अधीन समावेशित);

(च) करैंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड (मद संख्या 25 के अधीन समावेशित).

अत: अब, केन्द्रीय सरकार,औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यह घोषणा करती है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए छह माह की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवाएं होंगी ।

[फा. सं. एस-11017/4/2011-आईआर (पीएल)]
कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 933] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2019/फाल्गुन 9, 1940
No. 933] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2019/PHALGUNA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

का.आ. 1067(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, भिन्न –भिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिनके अंतर्गत सिंथेटिक ईंधन, ल्युब्रिकेटिंग तेल और उसी प्रकार के ईंधन और तेल भी हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई उद्योग सेवाएँ जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के मद 26 के अधीन समावेशित हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4220(अ), तारीख 31 अगस्त, 2018 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 1 सितम्बर, 2018 से छह मास तक की कालावधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि, उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोक हित में अपेक्षित है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, भिन्न –भिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिनके अंतर्गत सिंथेटिक ईंधन, ल्युब्रिकेटिंग तेल और उसी प्रकार के ईंधन और तेल भी हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई उद्योग सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 1 मार्च, 2019 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2018-आईआर(पीएल)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव